न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
पीठासीन अधिकारी–बबीता रानी, उच्चतर न्यायिक सेवा।

J.O. CODE- UP 1879

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2535 सन 2024

CNR No. UPSP 010061272024

1. गुलाब सिंह पुत्र साधूराम।
2. अंकित पुत्र गुलाब सिंह।

निवासीगण–मौहल्ला गांधी कालोनी, कस्बा व थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। .....विपक्षी।

मुकदमा अपराध संख्या 171/2024
धारा 366,420,467,468,471,120बी भा0द0सं
थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर।

19.07.2024

आवेदक/अभियुक्तगण गुलाब सिंह एवं अंकित द्वारा अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण की तरफ से अग्रिम जमानत हेतु यह प्रथम आवेदन है तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद अथवा अन्य किसी भी न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु कोई आवेदनपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 05.01.2024 को वादी की पुत्री को विपक्षी आशीष अपने पिता गुलाब सिंह एवं भाई अंकित आपराधिक षडयन्त्र रचकर ले गये थे। विपक्षी गुलाब सिंह व अंकित ने आशीष के नाम से फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसकी उम्र करीब 21 वर्ष जाहिर करते हुये उसकी शादी वादी के पुत्री के साथ गाजियाबाद मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में दिखा दी, जबकि आशीष की जन्म तिथि 09.09.2006 चली आती है। विपक्षीगण ने फर्जी कागजात को असल के रूप में प्रयोग करते हुये मैरिज प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। वादी की पुत्री जाते समय घर में रखे 1,50,000/–रूपये भी साथ ले गयी, जो विपक्षीगण के कब्जे में हैं। उसकी पुत्री को जबरदस्ती विपक्षीगण ने बन्धक बना रखा है। वादी ने उक्त सम्बन्ध में एक प्रार्थनापत्र थाना पर दिया, परन्तु थाने वालो ने कोई कार्यवाही नहीं की है। पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर वादी ने विवश होकर कुल वाकात का एक प्रार्थनापत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को बजरिये डाक प्रेषित किया। अतः कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई है कि वह निर्दोष हैं और उन्हें मुकदमा उपरोक्त में रंजिश के कारण झूठा आलिप्त किया गया है। उक्त मुकदमा धारा 156(3) दं.प्र.सं के अर्न्तगत कानूनी मशवरे से दर्ज कराया गया है। वादी की पुत्री शादी के समय बालिग थी। वादी द्वारा एक अन्य मुकदमा सं0–14/2024 धारा 366 भा.दं.सं का थाना देवबन्द पर दर्ज कराया था। उसके उपरान्त दौरान तफतीश में पीडिता ने अपने बयान धारा 164 दं.प्रं.सं कहा है कि वह अपनी मर्जी से अपने पति के साथ रहना चाहती है, जिसके बाद पीडिता को उसके पति आशीष कुमार व प्रार्थी गुलाब सिंह की सुपुर्दगी में दे दिया गया था। वादी की लडकी व सहअभियुक्त आशीष कुमार पति–पत्नी के रूप में सुख पूर्वक रहने लगे और इस समय पीडिता 6 माह की गर्भवती है। सहअभियुक्त आशीष कुमार बालिग है। दाखिला कराते समय उसकी उम्र अध्यापक ने कम लिख दी और उसी के अनुसार परिवार रजिस्टर की नकल बन गयी, जबकि आधार कार्ड व पैन कार्ड में आशीष की उम्र सही है, और आशीष का मैडिकल कराया जाये तो उसकी उम्र बिल्कुल सही आयेगी। चूंकि इस समय आशीष की उम्र 23 वर्ष है।

प्रार्थीगण ने किसी भी दस्तावेज की कोई कूट रचना नहीं की है, जो भी जानकारी है, वो आशीष कुमार को है। वादी ने जो मुकदमा पूर्व मे दर्ज कराया था, उसमें पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने पर वादी द्वारा उक्त झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नही हैं। पुलिस प्रार्थीगण को गिरफ्तार कर बेईज्जत करना चाहती है। अतः उन्हें अग्रिम जमानत के लाभ प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

थाना से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी की पुत्री का अपहरण कर धोखाधडी करने के आशय से आपराधिक षडयन्त्र रचकर डी0एल0 की कूट रचना कर उसके आधार पर सहअभियुक्त आशीष कुमार की उम्र करीब 21 वर्ष दर्शाते हुये उसकी शादी वादी के पुत्री के साथ कराने का आक्षेप है। केस डायरी पर उपलब्ध डी0एल0 में सहअभियुक्त आशीष कुमार की जन्म तिथि 05.01.2003 अंकित है। कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहारनपुर से प्राप्त आख्यानुसार उक्त डी0एल0 उनके कार्यालय से जारी न होना अभिकथित है। केस डायरी पर उपलब्ध परिवार रजिस्टर की नकल, आधार कार्ड एवं स्कूल प्रमाण पत्र में सहअभियुक्त आशीष कुमार की जन्म तिथि 09.09.2006 अंकित है। केस डायरी में उपलब्ध प्रपत्रों एवं साक्ष्य से आवेदक/अभियुक्तगण की कथित अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित है। उन्हें झूठा फंसाये जाने का कोई कारण नही है। कथित अपराध गम्भीर प्रकृति का है तथा धारा 438 दं.प्र.सं के अर्न्तगत अपवादित मामलो की श्रेणी में आना अभिकथित नही है। विवेचना प्रचलित है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित नही है। तद्नुसार आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेकद/अभियुक्तगण गुलाब सिंह एवं अंकित की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 438 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित थानाध्यक्ष एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को अविलम्ब प्रेषित की जाये ।

दिनांकः–19.07.2024

(बबीता रानी)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर